



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112023-250147
CG-DL-E-20112023-250147

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 771]
No. 771]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2023/कार्तिक 26, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2023/KARTIKA 26, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2023

संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (734).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 16444 : 2015 ए.सी. स्थैतिक सीधा जुड़ा वाटआवर स्मार्ट मीटर वर्ग 1 एवं 2 — विशिष्टि	संशोधन संख्या 3 नवंबर 2023	9 नवम्बर 2023	8 मई 2024

पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./553/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2023

Ref: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (734).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 16444 : 2015 a.c. Static Direct Connected Watthour Smart Meter Class 1 and 2 — Specification	Amendment No. 3 November 2023	9 November 2023	8 May 2024

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./553/2023-24]